

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राज्य स्तरीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल  
पी0एच0क्यू0 के पीछे जहांगीराबाद भोपाल

दूरभाष 0755-2766256 (कार्यालय) [hescbho@mp.gov.in](mailto:hescbho@mp.gov.in) Web Side <http://www.mpcolleges.nic.in/pglawbhopal>


क्रमांक / विधि महा./ 2021

भोपाल दिनांक...


विषय:- स्टेशनरी क्रय हेतु निविदा विज्ञप्ति 2021-22

हितग्राही मूलक योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शासन द्वारा ग्लोबल बजट व्यवस्था से निःशुल्क सामग्री समस्त करों सहित रूपये 500/-(पांच सौ रूपये) की स्टेशनरी वितरित किये जाने के लिए निम्न स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित है।

1. फ़ेयर लॉग रजिस्टर (380 पेज)  
Size - 21 cm X 29.7 cm, Quality - 60 GSM + /-( मूल्य साईज , पेपर थिकनेस इत्यादि प्रिन्टेड होना अनिवार्य है )
2. सेलो फाईन ग्रीप पेन  
प्रदत्त की जाने वाली सामग्री पर शासन के निर्देशानुसार मूल्य अंकित होना आवश्यक है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा, विज्ञप्ति अपलोड होने के 15 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय में प्राचार्य के पदनाम से स्टेशनरी हेतु निविदा विज्ञप्ति लिफाफे पर लिखकर प्रस्तुत करने का दिनांक के साथ भेजें।
1. 01 से 02 तक सामग्री की नमूना की एक किट बनाकर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें/भेजें।
2. भण्डार क्रय नियमों की समस्त शर्तें निविदाकर्ता/प्रदायकर्ता फर्म के लिए लागू व अनिवार्य होंगी।
3. वणिज्य कर का पंजीयन क्रमांक जो वर्तमान में प्रचलन में हो अनिवार्य है।
4. निविदा के साथ टिन नं., बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित फोन नं., पत्र व्यवहार का पता, ई-मेल इत्यादि की जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है।
5. एस.सी./एस.टी. के इच्छुक उद्यमी भी उक्त समस्त शर्तों के साथ अपनी निविदा अवश्य प्रस्तुत करें।
6. स्टेशनरी क्रय संबंधित समस्त अधिकार प्राचार्य के पास रहेंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम रहेगा। न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।
7. स्वीकृत निविदाकर्ता को सामग्री का प्रदाय प्रति छात्र राशि के हिसाब से किट बनाकर सप्लाय करना अनिवार्य है।
8. सामग्री का प्रदाय एफ.ओ.आर. सहित शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय भोपाल रहेगा।

  
पुस्तकालयाध्यक्ष

LIBRARIAN  
Govt. Engineering Law College,  
Bhopal M.P.

  
प्राचार्य

Principal  
Govt. Engineering Law College,  
Bhopal M.P.